2021/293

फर्द अहकाम

रामचन्द्र बनाम सीताराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 163/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/04/22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. ⑥ हाजिर। पूर्व पेशी दिनांक 01/04/2022 को वकील उभयपक्षों की प्रार्थी / प्रतिवादी सं. ⑥ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 6 ने दौराने बहस निवेदन किया की वादीगणो द्वारा खसरा न. 6 रकबा 0.1012 हैक्टेयर वाके ग्राम निमोरा तह. बस्सी जि. जयपुर के संबंध मे घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादित भूमि गै.मु. आबादी भूमि है एवं ग्राम पंचायत खोरी की खातेदारी मे दर्ज है वादग्रस्त भूमि की किस्म गै.मु. आबादी है जिसे वादीगण ने अपने वाद के मद न. 3 मे भी अंकित कर स्वीकार किया है। प्रथम तो आबादी भूमि के सम्बन्ध मे वाद को ग्रहण करने तथा उसकी सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। वादीगण द्वारा पंचायत के विरुद्ध वाद दायर करने से पूर्व पंचायत अधिनियम की धारा 109 के तहत ग्राम पंचायत को 2 माह का विधिक नोटिस भी नही दिया गया है जो कि दिया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा विधि के	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		आज्ञापक प्रावधानो के विपरित जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उनवानी वाद विधि विरुद्ध एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 ने उक्त प्रकरण के संबंध मे निम्नांकित कानूनी नजीरे पेश कि है। 1. 2012(2) RRT 1271 2. 2008(1) DNJ (Raj.) 58 3. 2021(1) RRT 535 अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस मे निवेदन किया कि भूमि वादग्रस्त वादीगण के हक पूर्वाधिकारी मुन्या उर्फ गुल्या के जमाने से चली आ रही पैतृक है जिसे दौराने भुप्रबन्ध सिवाय चक गलत दर्ज कर दिया। इस प्रकार के अवैधानिक	

2021/283

फर्द अहकाम

रामचन्द्र बनाम सीताराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 163/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अंकन को करने का अधिकार ना तो भुप्रबन्ध विभाग को प्राप्त था ना ही भूमि एकीकरण विभाग को प्राप्त था। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केा, बेबुनियाद एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर आधारित होने के कारण एवं प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश होने के कारण उसे भारी हर्जे-खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। उभयपक्षो की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर की गई बहस सुनने एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन करने पर हम पाते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न 6 की भूमि ग्राम पंचायत खोरी के नाम इन्द्राज है जिसमे ग्राम पंचायत खोरी को पक्षकार बनाया गया है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के तहत 2 माह का नोटिस देना आवश्यक था जो नही दिया गया इस प्रकार यह विधि द्वारा वर्जित होना पाया गया एवं उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत खोरी की गै.मु. आबादी भूमि है जो की अकृषि भूमि है इस राजस्व न्यायालय को कृषि भूमि के मामलो	

2021/293

फर्द अहकाम

रामचन्द्र बनाम सीताराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 163/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है इस प्रकार यह प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण उक्त वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं. 6 रकबा 0.1012 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible] तह. बस्सी जि. जयपुर के संबंध मे प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 19/04/2022 को यह निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. रामचन्द पुत्र मुन्या उर्फ गुल्या
2. पाचूराम पुत्र मुन्या उर्फ गुल्या
3. चन्द्रास
4. फैलीराम
5. गेपाल
6. ताराचन्द पुत्रान छोटूराम
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. सीताराम
2. शंकर
3. राजेन्द्र
4. रामपाल
5. राजेश पुत्रान जीताराम
जाति मीना निवासी ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर।
6. रंगलाल मीना पुत्र प्रेमनारायण
जाति मीना निवासी ग्राम धीगडकाबास तह. बस्सी जिला जयपुर।
7. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
8. ग्राम पंचायत खोरी पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 163/21

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 6 रकबा 0.1012 हैक्टेयर वाके ग्राम निमोरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा पस्तुत प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज किया जाता है।.....निजी.................मुबलिक...................... बाबत.............................खर्चा.................................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह................ फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.202_ को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा..............................

दस्तखत..........[signature]..........

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन		

[signature]

फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर